संख्या-64/1936/78-2-2012-69आई0टी02013

प्रेषक,

जी0एस0 नवीन कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

उधोग निदेशक,
कानपुर,
उत्तर प्रदेश।

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 18 दिसम्बर, 2013

विषय: नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान के अन्तर्गत रूपये 1160.00 लाख की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-565/78-2-2012-69आई.टी./2013, दिनांक 5.6.2013 तथा संशोधित शासनादेश संख्या-996/78-2-2013-69आई.टी./2013, दिनांक 18.7.2013 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा रू० 1160.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई थी। उक्त शासनादेशों को निरस्त करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यूपी स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क प्रोजेक्ट (स्वान) के अन्तर्गत राज्य मुख्यालय, समस्त जनपदों, तहसीलों तथा ब्लाक मुख्यालयों तक स्थापित नेटवर्क के बैण्डविड्थ चार्जेज के भुगतान हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक में नेशनल ई-गवर्नेन्स एक्शन प्लान के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 38,60,00,000- (रूपये अड़तीस करोड़ साठ लाख मात्र) में से रू0 6,00,00,000- (रूपये छः करोड़ मात्र), स्टेट डाटा सेंटर हेतु रू0 50,00,000- (रूपये पचास लाख मात्र), कैपेसिटी बिलिडंग स्कीम हेतु रू0 10,00,000- (रूपये दस लाख मात्र) एवं स्टेट वाइड रोल आउट आफ ई-डिस्ट्रीक्ट हेतु रू0 5,00,00,000- (रूपये पांच करोड़ मात्र) अर्थात कुल रूपये 11,60,00,000- (रूपये ग्यारह करोड़ साठ लाख मात्र) की स्वीकृति निर्गत कर प्रबंध निदेशक, यूपीडेस्को लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल महोदय प्रदान करते है:-

(1) उधोग निदेशक द्वारा वित्त विभाग के आदेश संख्या-बी-1-417/दस-2013-16/94, दिनांक 26 फरवरी, 2013 में दी गई प्रक्रियानुसार सेट्रल सर्वर के माध्यम से संबंधित कोषागार को बजट आवंटन भेजे जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(2) उक्त धनराशियों की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के साथ दी जा रही हे कि उक्त का भुगतान सम्बन्धित योजना में पारित एमओयू की शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-1 के प्रपत्र संख्या-6 (ए) (संशोधित) द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को द्वारा बिल बनाकर उसे संयुक्त निदेशक, उधोग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को प्रतिहस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। प्रबंध निदेशक यूपीडेस्को द्वारा धनराशि का आहरण कर उसे राज्य समन्वयक सेंटर फार ई-गवर्नेन्स को उपलब्ध कराया जायेगा। राज्य समन्वयक, सेंटर फार ई-गवर्नेन्स द्वारा उक्त धनराशि को योजनाओं से संबंधित के बैंक एकाउन्ट में रखा जायेगा।

(4) राज्य समन्वयक, सेंटर फार ई-गवर्नेन्स द्वारा उक्त धनराशि से बिल के आधार पर बीएसएनएल को लंबित भुगतान करने के उपरान्त त्रैमासिक आधार पर भुगतान नियमानुसार

http://shasanadesh.up.nic.in

सुनिश्चित किया जायेगा। भुगतान से पूर्व इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी, एन.आई.सी. द्वारा सूचित डाउनटाइम के सापेक्ष देय पेनाल्टी की कटौती कर ली जायेगी।

(5) उक्त धनराशि के आहरण-वितरण का लेखा-जोखा उद्योग निदेशक कानपुर द्वारा अपने यहा भी रखा जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल यूपी स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क प्रोजेक्ट, स्टेट डाटा सेंटर, कैपेसिटी बिलिडंग तथा स्टेट वाइड रोल आउट आफ ई-डिस्ट्रीक्ट के भुगतान में भारत सरकार तथा राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) उक्त स्वीकृत धनराशि के व्यय के उपरान्त उ0प्र0 सेंटर फार ई-गवर्नेन्स द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उ0प्र0, भारत सरकार, उद्योग निदेशक तथा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) उक्त स्वीकृत धनराशि पर अर्जित ब्याज की धनराशि प्रोजेक्ट की धनराशि होगी।

(9) उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के "अनुदान संख्या-7 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्य उद्योग) लेखाशीर्षक 2852-उद्योग (आयोजनागत) 80-सामान्य, 800-अन्य व्यय, 09-नेशलन ई-गवर्नेन्स एक्शन प्लानस, 42-अन्य व्यय'' के नामे डाला जायेगा।

(10) यह आदेश वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 की अशासकीय पंजी संख्या-ई-6-587दस-2013, दिनांक 17 दिसम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जी0एस0 नवीन कुमार)
विशेष सचिव

संख्या-1936(1)78-2-2013, तददिनांक।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।
3. संयुक्त निदेशक, उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्कोयू0पी0एल0सी0, लखनऊ।
5. उपमहानिदेशक, एनआईसी यूपीयूनिट, लखनऊ।
6. राज्य समन्वयक, सेंटर फार ई-गवर्नेन्स, उ0प्र0 लखनऊ।
7. सचिव, संचार और सूचना प्रौधोगिकी मंत्रालय, सूचना प्रौधोगिकी विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली।
8. महानिदेशक एन.आई.सी. मुख्यालय नई दिल्ली।
9. उप निदेशक, वित्त मंत्रालय, प्लान फाइनेन्स-1 डिवीजन, व्यय विभाग, भारत सरकार नई दिल्ली।
10. निदेशक, वित्तीय, सांखियकी निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6नियोजन अनु0-4लघु उद्योग अनु0-3 औधोगिक विकास अनु0-2
12. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(निर्मला श्रीवास्तव)
अनु सचिव

http://bhasanadesh.up.nic.in